न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
112 / 2022	15.06.2022	21.07.2022

अनवान

1. किशन पिता उदेराम ढोली आयु वयस्क निवासी पाण्डोली स्टेशन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. तुलसीराम पिता उदेराम ढोली आयु वयस्क निवासी पाण्डोली स्टेशन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. गोपाल पिता रामचन्द्र नाई आयु वयस्क निवासी पाण्डोली स्टेशन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. मदन पिता घासीराम खण्डेलवाल आयु वयस्क निवासी पाण्डोली स्टेशन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. दिनेश पिता गोर्धन खटीक आयु वयस्क निवासी पाण्डोली स्टेशन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. रामेश्वर पिता गोर्धन खटीक आयु वयस्क निवासी पाण्डोली स्टेशन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. भैरू पिता राम लाल सुथार आयु वयस्क निवासी पाण्डोली स्टेशन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
6. छीतर पिता प्रभु लाल सुथार आयु वयस्क निवासी पाण्डोली स्टेशन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
7. रामेश्वर पिता शंकर लाल ढोली आयु वयस्क निवासी पाण्डोली स्टेशन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
8. भैरू लाल पिता कस्तुर ढोली आयु वयस्क निवासी पाण्डोली स्टेशन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थीगण

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार बापना — प्रार्थीगण
अधिवक्ता श्री ललित झंवर — अप्रार्थीगण
शेष एकतरफा

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पाण्डोली पटवार हल्का पाण्डोली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 5 में अंकित आराजीयात आराजी संख्या 1810, 1812, 1828 कुल किता 3 कुल रकबा 0.59 है0, खाता संख्या 783 की आराजी संख्या 1807, 1815, 1817, 1819 कुल किता 4 कुल रकबा 0.68 है0, तथा खाता संख्या 784 की आराजी संख्या 1809, 1811, 1818 कुल किता 3 कुल रकबा 0.36 है0 प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जेर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.13 14:23:28 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा–चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 19.07.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 व 3 से 8 के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से उक्त अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री ललित झंवर का अधिकार पत्र मय जवाब प्रस्तुत हुआ। प्रस्तुत जवाब अनुसार आता चाह नम्बर 1814 जिसमें मुझ अप्रार्थी का 1/3 हक हिस्सा निहित है। शेष की मुझे जानकारी नही है। उक्त आराजीयात पर आने जाने का रास्ता प्रार्थीगण की आराजीयात में से ही है। प्रार्थीगण उक्त आराजी संख्या 1814 पर आने जाने के रास्ते को पत्थरगढ़ी करा बन्द कराना चाहते है। जिसका उन्हे कोई अधिकार किसी भी प्रकार से नहीं है। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

हाजिर वकील उभयपक्ष द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र को सुना गया। हाजिर वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थीगण पत्थरगढ़ी की आड में आचा पर आने जाने का रास्ता बन्द कराना चाहते है। वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी करा सीमांकन चाहते है। व आचा के रास्ते में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगे। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर–बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार कपासन को सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कपासन को आदेश दिया जाता है कि मौजा पाण्डोली पटवार हल्का पाण्डोली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 75 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1810, 1812, 1828 कुल किता 3 कुल रकबा 0.59 है0 व खाता संख्या 783 की आराजी संख्या 1807, 1815, 1817, 1819 कुल किता 4 कुल रकबा 0.68 है0, तथा खाता संख्या 784 की आराजी संख्या 1809, 1811, 1818 कुल किता 3 कुल रकबा 0.36 है0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से [illegible] तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद [illegible] आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 21.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.13 14:23:28 IST
Reason: Self Attested

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official